विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में ₹ 484.72 करोड़ के वित्तीय प्रभाव के कर/शुल्क के नहीं/अल्पारोपण/हानि से संबंधित एक निष्पादन लेखापरीक्षा सहित 25 कंडिकायें सम्मिलित हैं जिसमें ₹ 311.07 करोड़ के लेखापरीक्षा अवलोकनों को सरकार/विभाग ने स्वीकार कर लिया है। ₹ 484.72 करोड़ में ₹ 404.09 करोड़ वसूलनीय है तथा शेष राशि ₹ 80.63 करोड़ अधिनियमों/नियमों की त्रुटियाँ एवं मानदण्डों के अपालन/मानदण्डों के अनिर्धारण के कारण सरकार को सैद्धान्तिक क्षति हुई। मुख्य निष्कर्षों में से कुछ का उल्लेख निम्न कंडिकाओं में किया गया है।

I. सामान्य

वर्ष 2010-11 की कुल प्राप्तियाँ ₹ 18,781.12 करोड़ की तुलना में वर्ष 2011-12 में झारखण्ड सरकार की कुल प्राप्तियाँ ₹ 22,419.45 करोड़ थीं। कर राजस्व ₹ 6,953.89 करोड़ और कर-भिन्न राजस्व ₹ 3,038.22 करोड़ को मिलाकर राज्य सरकार ने कुल ₹ 9,992.11 करोड़ का राजस्व सृजित किया। भारत सरकार से ₹ 12,427.34 करोड़ (विभाज्य संघीय करों से राज्यों का हिस्साः ₹ 7,169.93 करोड़ और सहायता-अनुदान ₹ 5,257.41 करोड़) प्राप्त हुए। इस प्रकार, राज्य सरकार कुल राजस्व का 45 प्रतिशत ही सृजित कर सकी। वर्ष 2011-12 के दौरान वैट/बिक्री, व्यापार आदि पर कर (₹ 5,522.02 करोड़) और अ-लौह खनन और धातुकर्मीय उद्योग (₹ 2,662.79 करोड़) क्रमशः कर राजस्व एवं कर-भिन्न राजस्व के मुख्य स्रोत थे।

(कंडिका 1.1)

दिसम्बर 2011 तक निर्गत निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं लेखापरीक्षा टिप्पणियों की संख्या जिसका निपटारा जून 2012 तक नहीं हो पाया था, क्रमशः 963 एवं 6,100थीं, जिसमें ₹ 9,794.39 करोड़ सन्निहित थे। दिसम्बर 2011 तक निर्गत 225 निरीक्षण प्रतिवेदनों के संबंध में प्रथम उत्तर भी प्राप्त नहीं हुए यद्यपि निर्गत प्रतिवेदनों की प्राप्ति के एक माह के भीतर उनका उत्तर दिया जाना अपेक्षित था।

(कंडिका 1.6.1)

वर्ष 2006-07 से 2010-11 के दौरान सरकार/विभागों ने ₹ 1,136.92 करोड़ के राजस्व देयता के आपत्तियों को स्वीकार किया (लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में बताये गये कुल ₹ 3,894.36 करोड़ के कुल आपत्तियों में से) जिसमें ₹ 785.11 करोड़ की वसूली 31 मार्च 2012 तक की गयी ।

(कंडिका 1.6.6)

वाणिज्यकर, राज्य उत्पाद, वाहनों पर कर, भू-राजस्व, मुद्रांक एवं निबंधन फीस, विद्युत शुल्क, खान एवं भूतत्व, के 117 इकाइयों के अभिलेखों की 2011-12 में की गयी नमूना जाँच से 31,791 मामलों में सन्निहित ₹ 1,117.79 करोड़ के राजस्व के अवनिर्धारण/कम आरोपण/राजस्व की हानि प्रकाश में आये। वर्ष के दौरान संबद्ध विभागों ने 19,193 मामलों में सन्निहित ₹ 306.28 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य त्रुटियों को स्वीकार किया।

(कंडिका 1.9.1)

II. मूल्य वर्द्धित कर/बिक्री, व्यापार आदि पर कर

विक्रय/क्रय आवर्त के निर्धारण में अनियमितताओं के परिणामस्वरूप ₹ 72.83 करोड़ के कर एवं अर्थदण्ड का नहीं/कम आरोपण हुआ।

(कंडिका 2.11)

चार वाणिज्यकर अंचलों में 19 निर्धारितियों के मामलें में कर के गलत दर के लागू करने के परिणामस्वरूप ₹ 10 करोड़ के ब्याज एवं अर्थदण्ड सहित ₹ 24.17 करोड़ के कर का कम आरोपण हुआ।

(कंडिका 2.12)

पाँच वाणिज्यकर अंचलों में छः निर्धारितियों के मामले में ₹ 1.04 करोड़ का अस्वीकार्य इनपुट टैक्स क्रेडिट था। इसके अतिरिक्त ₹ 1.80 करोड़ का अर्थदण्ड भी आरोप्य था।

(कंडिका 2.13)

धनबाद वाणिज्यकर अंचल में एक निर्धारिती द्वारा घोषणा प्रपत्रों के दुरूपयोग के परिणामस्वरूप ₹ 18.79 करोड़ के अर्थदण्ड सहित ₹ 31.31 करोड़ के कर का कम आरोपण हुआ।

(कंडिका 2.15.1)

कतरास वाणिज्यकर अंचल के दो व्यवसायियों के मामले में अधिक कर संग्रहण के लिए ₹ 16.60 करोड़ अर्थदण्ड का आरोपण नहीं हुआ।

(कंडिका 2.16)

III. राज्य उत्पाद

खुदरा उत्पाद दुकानों के नहीं/विलम्बित बंदोबस्ती के परिणामस्वरूप ₹ 80.63 करोड़ के उत्पाद शुल्क एवं लाइसेन्स फीस की हानि हुई।

(कंडिका 3.8)

चार उत्पाद जिलों में 148 खुदरा विक्रेताओं द्वारा शराब के कम उठाव के परिणामस्वरूप ₹ 16.22 लाख के सरकारी राजस्व की वसूली नहीं हुई।

(कंडिका 3.10)

सात होटलों, बारों एवं रेस्तराओं में भा.नि.वि.श. की बिक्री पर लाइसेन्स फीस के गलत दर लागू करने के परिणामस्वरूप ₹ 21 लाख के राजस्व की कम वसूली हुई।

(कंडिका 3.11)

IV. वाहनों पर कर

2,975 वाहन स्वामियों पर अप्रैल 2007 एवं मार्च 2012 की अवधि के बकाये ₹ 12.60 करोड़ के कर का भुगतान न तो स्वामियों द्वारा किया गया न ही विभाग द्वारा माँग सृजित की गयी।

(कंडिका 4.9)

परिवहन कार्यालय, गिरिडीह में नौ वाहनों के मामले में अभ्यर्पण अवधि की समाप्ति के पश्चात भी कोई कर वसूल नहीं किया गया, परिणामस्वरूप ₹ 14.49 लाख का कर एवं अर्थदण्ड की वसूली नहीं हुई।

(कंडिका 4.13)

V. भू-राजस्व

21.40 एकड़ खासमहल भूमि के 155 पट्टे का जो 2004-05 से 2010-11 के मध्य समाप्त हो गया था, नवीकरण नहीं होने के परिणामस्वरूप ₹ 10.28 करोड़ के सलामी, दाण्डिक लगान एवं ब्याज के रूप में राजस्व की हानि हुई।

(कंडिका 5.9)

अंचल कार्यालय, मांडू द्वारा 4.82 एकड़ जी.एम. खास/आम भूमि को सलामी एवं पूँजीकृत मूल्य ₹ 4.71 करोड़ की वसूली किये बिना व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए हस्तांतरण किया गया।

(कंडिका 5.10)

VI. अन्य कर प्राप्तियाँ

मुद्रांक एवं निबंधन फीस

झारखण्ड प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, राँची से 20 मोबाईल सेवा प्रदाताओं के सबंध में एकत्रित आँकड़े/सूचनाओं एवं पाँच जिला अवर निबंधक के अभिलेखों से तिर्यक जाँच से प्रकट हुआ कि पट्टा अभिलेखों के क्रियान्वयन नहीं होने के परिणामतः ₹ 56.28 लाख के मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस का आरोपण नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹ 1.14 करोड़ का अधिकतम जुर्माना आरोप्य था।

(कंडिका 6.8)

विद्युत शुल्क

झरिया वाणिज्य कर अंचल में तीन निर्धारितियों के मामले में गलत दर पर विद्युत शुल्क आरोपण किये जाने के कारण ₹ 1.83 करोड़ के विद्युत शुल्क का अल्पारोपण हुआ।

(कंडिका 6.13)

VII. खनिज रियायत, शुल्क एवं रॉयल्टी

"खनन प्राप्तियों के सबंध में खान एवं भूतत्व विभाग का कार्यकलाप" पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा में निम्नलिखित उद्घटित हुआ:

- केन्द्रीय सरकार द्वारा परिचालित मॉडल राज्य खनिज नीति, 2010 की तर्ज पर झारखण्ड ने राज्य खनिज नीति का ढाँचा तैयार नहीं किया है।

(कंडिका 7.4.2)

- उप निदेशक खान के तीन कार्यालयों में ₹ 458.04 करोड़ के बकाये वसूली हेतु लंबित थे।

(कंडिका 7.4.11.1)

- अपर्याप्त आंतरिक लेखापरीक्षा, महत्वपूर्ण पंजियों का असंधारण, विवरणियों का अप्रस्तुतीकरण/अनिर्धारण एवं विभागीय पदाधिकारियों द्वारा अपर्याप्त निरीक्षण के संदर्भ में आंतरिक नियंत्रण तंत्र का ढाँचा कमजोर था।

(कंडिका 7.4.13 एवं 7.4.14)

- वर्ष 2006-11 की अवधि में बड़े खनिजों के पट्टे की स्वीकृति हेतु प्राप्त 98 प्रतिशत आवेदन निष्पादन हेतु लंबित थे।

(कंडिका 7.4.16.1)

- छः खनन कार्यालयों में, 62 पट्टों के मामलों में, गलत दर से रॉयल्टी के भुगतान किये जाने के परिणामस्वरूप ₹ 20.43 करोड़ रॉयल्टी का कम आरोपण हुआ।

(कंडिका 7.4.17.1)

- खनन कार्यालयों, बोकारो एवं धनबाद में दो कोलियरियों द्वारा कोयले की श्रेणी को निम्न करने के कारण ₹ 3.22 करोड़ रॉयल्टी का कम आरोपण हुआ।

(कंडिका 7.4.17.2)

- खनन कार्यालयों, धनबाद एवं रामगढ़ में दो कोलियरियों द्वारा कोयले की मात्रा का गलत लेखाकंन किये जाने के परिणामस्वरूप ₹ 77.04 लाख रॉयल्टी का अधिक समायोजन हुआ।

(कंडिका 7.4.17.3)

- छः खनन कार्यालयों के 56 पट्टाधारियों द्वारा दाखिल विवरणियों को वाणिज्यकर विभाग, आई.बी.एम इत्यादि के अभिलेखों से की गई तिर्यक जाँच से खनिजों के प्रेषण में छिपाव प्रकट हुआ जिसके परिणामस्वरूप ₹ 117.60 करोड़ रॉयल्टी का कम आरोपण हुआ।

(कंडिका 7.4.18)

- 10 खनन कार्यालयों में विभाग से बिना अनुमति प्राप्त किये खनिजों के उत्खनन के लिये प्रमादियों द्वारा खनिज के मूल्य ₹ 2.50 करोड़ भुगतेय है।

(कंडिका 7.4.22)